

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
छिबरामऊ।

(पंजीकृत डाक)

पत्रांक: 9179 / वि०वि०ख०(छि) / (पूर्ण जमा योजना 2023-24)

दिनांक: 21.09 / 2023

विषय: निजी नलकूप के (LMV-5) संयोजन हेतु औपचारिकतायें पूर्ण करना।

श्री सुरेश सिंह भादव पुत्र श्री नीलम सिंह
ग्राम पोस्ट
विकास खण्ड मलिकपुरा
जनपद कन्नौज (उ०प्र०) लखीमपुरा

आवेदन सं० 1008321087
निजी नलकूप पोर्टल के माध्यम से।

आपको निम्न विद्युत अधिभार की स्वीकृत इस कार्यालय के ज्ञापन सं० 8601 दिनांक 89-023 के द्वारा दी जा चुकी है।
निजी नलकूप कार्य हेतु 13 हा०पा० के संयोजन हेतु इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया गया है कि उक्त कनेक्शन हेतु किसी कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर निम्न की पूर्ति करें।

1- निम्न धनराशि को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जमा करें:-

क्रम सं०	विवरण	धनराशि
1	मीटर चार्ज	4957.00
2	सर्विस लाइन चार्ज	107562.00
	योग	112519.00
3	जमानत धनराशि	3900.00
	कुल योग	116419.00

- 2- रू० 100/- के नाम जुडीशियल स्टेम्प पेपर में अनुबन्ध करें (जिस पर 1 रू० की टिकट लगी है।)
- 3- किसी अधिकृत विद्युत ठेकेदार द्वारा विद्युत भार के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में बी०एण्डएल०फार्म तीन प्रतियों में प्रेषित करें।
- 4- विद्युत निरीक्षण शुल्क रू० 2500.00 निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शीर्षाकान्तर्गत (0043 विद्युत पर कर एवं शुल्क) ट्रेजरी में जमा करें।
- 5- पासपोर्ट साइज की दो फोटो एवं उम्र का प्रमाण पत्र जो ग्राम प्रधान अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया हो।
- 6- मोटर की क्षमता के अनुसार लगाये गये शन्ट कैपिसिटर की खरीद की रसीद।
- 7- दो गवाह
- 8- आपको उक्त धनराशि पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर जमा करना होगा, अन्यथा आपके अधिभार की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

नोट- साइट पर लाइन बनते समय उत्पन्न व्यवधानों (ROW) के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

अपील:- उपभोक्ताओं से अपील है कि नवीन संयोजन के पास 4-5 पौधे अवश्य लगाये।

(रवीन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक: 9179 / वि०वि०ख०(छि) /

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड

दिनांक: 21.09 / 2023

को सूचनार्थ प्रेषित है।

(रवीन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता